भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2656

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 **फाल्गुन**, **1946 (शक)**

विकसित देशों में कार्यबल की तैनाती

2656. श्री आदित्य यादव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि विकसित देशों में कार्यबल को तैनात करने के अवसरों का पता लगाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो यह ध्यान में रखते हुए कि यह देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सही समाधान हो सकता है सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ग): वैश्विक श्रम बाजार के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय श्रमिकों के रोजगार और उनके हितों की रक्षा के लिए कई देशों के साथ द्विपक्षीय गतिशीलता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों/करारों का उद्देश्य भारतीय श्रमिकों के लिए वैश्विक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ उनके श्रम अधिकारों की रक्षा करना, गैर-कानूनी प्रवास को रोकना और कौशल विकास का समर्थन करना है। भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और हमारे छात्रों, शिक्षाविदों, व्यापारियों और पेशेवरों के लिए गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते (एमएमपीए) पहले ही फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क जैसे विकसित देशों के साथ हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं।

साथ ही, इसी तरह के समझौते के लिए साइप्रस, स्विट्जरलैंड, गुयाना, ग्रीस, हंगरी, फिनलैंड, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के साथ भी बातचीत शुरू की गई है। खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) और जॉर्डन के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार किए गए हैं, जो श्रम और जनशक्ति मुद्दों पर सहयोग के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करते हैं। सभी मौजूदा श्रम और जनशक्ति संबंधी मुद्दों पर संबंधित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) द्वारा चर्चा की जाती है। इसके अलावा, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए सऊदी अरब और कुवैत जो अक्सर सबसे कमजोर श्रेणी में आते हैं, के साथ घरेलू क्षेत्र के लिए श्रम सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूएई के साथ घरेलू कामगारों पर एक प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। जापान, पुर्तगाल, ताइवान और मलेशिया के साथ भी श्रम गतिशीलता समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एनसीएस पोर्टल (www.ncs.gov.in) के माध्यम से नौकरी मिलान सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को भी लागू कर रहा है। एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों संबंधी मॉड्यूल विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भर्ती एजेंटों (आरए) को एनसीएस पोर्टल पर अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के अवसर पोस्ट करने और नौकरी चाहने वालों को इन अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों के अवसरों की खोज और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।

*****